

गयाप्रसाद रघु आयु वयस्क

आत्मज स्व. बाबूलाल रघु

निवासी-बरेली, तहसील बरेली

जिला रायसेन

--- निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1. नीरज कुमार नाबालिग

आत्मज स्व. अजेन्ट सिंह रघुवंशी

द्वारा संरक्षक माँ सुनीता बाई रघुवंशी

निवासी-इंद्रप्रस्थ कालोनी विदिशा

जिला विदिशा म.प्र.

2. अजब सिंह आत्मज बाबूलाल

3. केशव सिंह आ. स्व. रमेशचंद्र

4. नरेन्द्र सिंह आत्मज स्व. रमेशचंद्र

5. अमान सिंह रघुवंशी आ. बाबूलाल

कं. 2 लगायत 5 आयु वयस्क

कं. 2 लगायत 5 सभी निवासी- बटेरा

तहसील बरेली, जिला रायसेन म.प्र. ---

उत्तरदातागण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

उक्त निगरानी अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, बरेली जिला रायसेन म.प्र. के द्वारा प्रकरण कं. 84/अपील/14-15 में पारित अंतरिम आलोच्य आदेश दिनांक 05.04.16 के विरुद्ध दुखित एवं परिवेदित होकर समयवधि में न्यायदान हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी के तथ्य

1. यह कि निगरानीकर्ता ने एक अपील अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम थाला नामांतरण पंजी क. 5 आदेश दिनांक

निरंतर....2

(Handwritten signature)

श्री रमेश सिंह
अभिभवदा (C)
कंप निवासी
ग्राम 1
28/4/16
अम



निग 1358/1802/16 रायसंग
अमा प्रमाद/ नीरज कुमार

म^० 1
PD
26-3-18

आवेदक आवेदकता तथा अनावेदक
पक्ष सूचना उपरोक्त अनुपाक्षित। आवेदक
पक्ष को तीन बार पुकार लगावाई गई,
परन्तु आवेदक पक्ष को कोर्ट से कोई
उपाक्षित नहीं हुआ। प्रकरण आवेदक
पक्ष को अनुपाक्षित में अदम वैरवी
में खारिज किया जाता है।

(अध्यापक)

